



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS  
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचिन  
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)

E-mail: [cochincustoms@nic.in](mailto:cochincustoms@nic.in)

Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468

DIN : 20231058MB0000999DD7

### सार्वजनिक सूचना संख्या Public Notice No. 20/2023

**विषय:** सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा नार्कोटिक्स(नासिन), फरीदाबाद के द्वारा सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के तहत ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन- से संबंधित।

**Subject :** Conduct of online examination under Regulation 6 of Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 by the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN), Faridabad - reg.

सीमा शुल्क ब्रोकर तथा व्यापार के सभी सदस्यों का ध्यान उपर्युक्त विषय पर आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 2024 के लिए सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग की लिखित परीक्षा, नासिन फरीदाबाद द्वारा मार्च-2024 माह में विनिर्दिष्ट केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

Attention of the Customs Brokers and all the members of the trade is invited to the above mentioned subject. The written examination of Customs Brokers Licensing Examination, for the Year 2024, shall be conducted by NACIN in the Month of March-2024 at the designated examination centers across India.

**2.** परीक्षा के लिए पूर्णरूपण भरे गए आवेदन को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा फॉर्म ए(सी बी एल आर, 2018 में उपलब्ध) में दो पासपोर्ट आकार के फोटों, नागरिकता के संबंध में स्वसत्यापित दस्तावेज(आधार/पासपोर्ट/मतदान कार्ड), शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, वित्तीय व्यवहार्यता, मोबाईल संख्या, ई-मेल आई डी तथा अन्य दस्तावेज रु.500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) के निर्धारित शुल्क सहित 18.10.2023 से 17.11.2023 के अपराह्न 6:00 बजे तक प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क(निवारक)/केन्द्रीय कर एवं सीमा शुल्क, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आवेदक को उनका व्यापार करना है, को प्रस्तुत किया जाए। अंतिम तिथि के बाद पोस्ट द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Complete application is to be submitted in person or by Registered/ Speed Post in Form-A (available in the CBLR, 2018) along with two passport size photos and self attested documents on citizenship (Aadhaar/ Passport/ Voter Card), educational qualification, financial viability, mobile number, e-mail id and other requirements along with the prescribed fee of Rs.500/- (Rupees five hundred only) from 18.10.2023 to 17.11.2023 up to 06:00 PM to the Principal Commissioner/ Commissioner of Customs/ Customs (Prev)/Central Tax & Customs, having jurisdiction over the area where the applicant intends to carry on his business. Applications sent by post, in case received after the last date shall not be entertained.

**3.** परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र पाए गए आवेदकों के नाम कोचिन सीमा शुल्क के सूचना पटल / वेबसाइट (<https://www.cochincustoms.gov.in/>) पर 08.12.2023 से प्रदर्शित किए जाएंगे।

Names of applicants found eligible to appear in examination will be displayed on the notice board and/or website of the Cochin Customs website (<https://www.cochincustoms.gov.in/>) latest by 08.12.2023.

**4.** यदि उक्त परीक्षा से पहले या बाद में या सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस प्रदान करने के बाद भी किसी भी समय यदि प्रस्तुत घोषणाएं/हस्ताक्षर और/या प्रस्तुत दस्तावेज झूठे/गलत/जाली पाए जाते हैं, तो न केवल आवेदन को अस्वीकृत किया जाएगा या लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, बल्कि साथ ही संशोधित सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन (सी बी एल आर), 2018 के प्रावधानों और उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार उम्मीदवार के विरुद्ध उचित कार्रवाई/कार्यवाही भी शुरू की जाएगी।

In case the declarations/Signature made and /or documents furnished are found to be false/incorrect/ forged at any time before or after the said examination or even after the grant of the Customs Broker license, not only the application would be liable to be rejected or license to be cancelled but also an appropriate action/proceeding would be initiated against the candidate as per provisions of Customs Broker licensing regulation (CBLR), 2018, as amended and any other law for the time being in force.

**5.** आवेदनों को भेजने से पूर्व आवेदकों को आवेदन की पूर्णता भलीभाँति सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। अपूर्ण आवेदन सीधे ही अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

Before submitting the application, applicant should ensure the completeness of the application. Incomplete applications shall be summarily rejected.

**6.** ऑनलाईन लिखित परीक्षा, विकल्प चुनाव वाले प्रश्नों (एम सी क्यू) के साथ डेढ़ घंटे(10:30 hrs से 13:00hrs) की अवधि की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। प्रश्न द्विभाषी अर्थात् हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में होंगे। परीक्षा का प्रारूप

निम्नानुसार होगा:

The online written examination will be a Computer Based Exam with Multiple Choice Questions (MCQs) of two and half hours (10:30 hrs to 13:00 hrs) duration. Questions will be bilingual i.e. in English and Hindi. The pattern of the examination shall be as follows:

प्रश्नों की संख्या No. of questions : 150

अर्हक अंक Marking scheme : +3 प्रत्येक सही उत्तर हेतु for each correct answer  
-1 प्रत्येक गलत उत्तर हेतु for each incorrect answer

अधिकतम अंक Maximum marks : 450

अर्हक अंक Qualifying marks : 270 (60%)

**7.** उम्मीदवारों के पास हिंदी या अंग्रेजी में उत्तर देने का विकल्प है। सफल उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा जिसके लिए अलग से सूचना दी जाएगी।

The candidates have the option to answer either in Hindi or in English. Successful candidates will be called for an oral examination for which separate communication will be sent.

**8.** परीक्षा का पाठ्यक्रम यथासंशोधित सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के विनियमन 6(7) में निर्धारित किए गए अनुसार होगा। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को विनियम 6 के तहत मौखिक परीक्षा हेतु प्रस्तुत होना होगा।

The syllabus of examination is prescribed in Regulation 6(7) of the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018, as amended. Those qualifying in the said examination will have to appear for oral examination in terms of Regulation 6 of the said Regulations.

**9.** मौखिक परीक्षा कैलेण्डर वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में आयोजित की जाएगी। मौखिक परीक्षा में अर्ह होने के लिए आवश्यक उत्तीर्णता प्रतिशत 60% होगा।

The oral examination will be held during the second quarter of the calendar year 2024. The pass percentage marks for qualifying in the oral examination shall be 60%.

**10.** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2018 को जारी और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के संबंध में दिनांक 10.10.2018 के पत्र के माध्यम से सीबीआईसी द्वारा प्रसारित दिशानिर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि, वे सभी पात्र उम्मीदवार जो बेंचमार्क विकलांगता के इस मानदंड को पूरा करते हैं और इन दिशानिर्देशों का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी पात्रता और स्वेच्छा के बारे में जानकारी को दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उचित रूप से सूचित करना होगा, ताकि परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकारी और इसकी सहयोगी एजेंसियों द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जा सकें।

Attention is invited to the Guidelines dated 29.08.2018 issued by Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) and circulated by CBIC vide letter dated 10.10.2018 pertaining to the persons with benchmark disability. It is hereby advised that eligible candidates meeting this criteria of benchmark disability and willing to avail the benefit of these guidelines should appropriately intimate about their eligibility and willingness, duly substantiated with documentary evidence, so that necessary arrangements can be made by the exam conducting authority and its partner agencies.

**11.** अभ्यर्थियों में जागरूकता लाने के प्रयोजन से एक अभ्यास प्रश्न पत्र फरवरी, 2024 से सी बी आई सी तथा नासिन के वेबसाइटों [www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in) तथा [www.nacin.gov.in](http://www.nacin.gov.in) के आईकोन/टैब <GSTP/CBLR EXAM> पर उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भी प्रदान किया जाएगा। अर्ह आवेदकों को परीक्षा की तिथि के 12 दिनों के पूर्व ही ई-मेल द्वारा प्रवेश-पत्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अन्य आवश्यक विवरण जैसे परीक्षा केन्द्रों की सूची, अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश, सहायता केंद्र, ई-मेल आई डी इत्यादि उक्त आईकोन/टैब के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

A dummy question paper for the purpose of awareness of candidates will be made available on the CBIC and NACIN websites [www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in) and [www.nacin.gov.in](http://www.nacin.gov.in) under the icon/tab <GSTP/CBLR EXAM> from February, 2024. A link to download the admit card will also be provided therein. Admit card shall also be sent by e-mail to eligible applicants 12 days in advance before the date of examination. For convenience of candidates, other necessary details like list of centers, guidelines to the candidates, help desk, e-mail id. etc will also be made available under the said icon/ tab.

**12.** आवेदन की पात्रता और प्रक्रिया के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए, कृपया संशोधित सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन (सी बी एल आर), 2018 का संदर्भ लें, जो वेबसाइटों ([www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in) और [www.nacin.gov.in](http://www.nacin.gov.in)) पर उपलब्ध है या निकटतम सीमा शुल्क आयुक्तालय से संपर्क करें। आवेदन जमा करने के आरंभ से लेकर परीक्षा की तिथि तक नासिन द्वारा ई-मेल आईडी [cbire.help@cbic.gov.in](mailto:cbire.help@cbic.gov.in) पर एक हेल्पलाइन चालू की जाएगी।

For any query regarding eligibility and process of application, please refer to the Customs Broker Licensing Regulation (CBLR), 2018, as amended, available at the websites ([www.cbic.gov.in](http://www.cbic.gov.in) and [www.nacin.gov.in](http://www.nacin.gov.in)) or contact the nearest Customs Commissionerate. A helpline will be made operational by the NACIN at e-mail id. [cbire.help@cbic.gov.in](mailto:cbire.help@cbic.gov.in) from the date of start of submission of application till the date of exam.

**13.** इसे सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क गृह, कोचिन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

I/1476684/2023

This is issued with the approval of the Commissioner of Customs, Cochin Custom House.

(राजेन्द्र कुमार **Rajendra Kumar**)  
आयुक्त **Commissioner**

e-File No.:GEN/CB/APPL/4/2021-IMP/Bond -O/o COMMR-CUS-COCHIN

प्रति Copy to:

1. ई डी आई अनुभाग EDI Section.
2. सूचना पट्ट Notice Board.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, तिरुवनन्तपुरम ज़ोन, सी आर बिल्डिंग, आई एस प्रेस रोड, कोच्ची - 682 018

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, C.R. Building, I.S. Press Road, Kochi - 682 018.